


FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत _____ मुकाम _____
बनाम _____
किस्म मुकदमा _____ नं. _____ सन् _____

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 06/5/25 | <p>पत्रावली पैस दुकी वकील प्रार्थी एण वकील प्रार्थीगण की क्लस हुनी वर्त। वकील प्रार्थीगण की क्लस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अस्थायी बिसेसणा के लीनों सिन्दु प्रथम उल्लेख मामला दुक्रिया का सन्तुलन एवं अत्ररणीय शर्त प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं अतः प्रार्थीगण का पत्र अर्जान्त-पाठ 212 Pt. A.C. का स्वीकार भोग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खादिज किया जाता है। पत्रावली प्रथम श्रुमा वरर पर तखर से रक हो, बाद तहलील दाखिल कपनर हो।</p> <p style="text-align: right;">  (सुब्रमण्यम पिठडल) R.A.S. सहायक कलेक्टर (फलोदी) </p> | |